

AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189



चंदौली जिले में महिलाओं पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

ORIGINAL ARTICLE



Author

मंजीत तिवारी

शोध छात्र

राजनीति विज्ञान विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी, उत्तरप्रदेश, भारत

शोध सार

यह शोध पत्र चंदौली जिले, उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का गहन अध्ययन करता है। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। यह अध्ययन विशेष रूप से महिलाओं के लिए इस योजना के परिणामों का मूल्यांकन करता है, जिनका अक्सर कार्यबल में हिस्सा सीमित होता है। इस अध्ययन के लिए मिश्रित-शास्त्रीय विधि का उपयोग किया गया, जिसमें 250 महिलाओं से डेटा एकत्रित किया गया। डेटा संग्रहण में संरचित प्रश्नावली और गहन साक्षात्कार दोनों शामिल थे। परिणामों के अनुसार, मनरेगा ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगभग 70 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उनके परिवार की आय में वृद्धि हुई है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक स्थिति में भी सुधार देखा गया है। महिलाएं अब अपने समुदायों में अधिक सक्रिय और सम्मानित महसूस करती हैं। हालाँकि, अध्ययन में यह भी पाया गया कि महिलाओं को वेतन असमानताओं और कार्य उपलब्धता की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 60 प्रतिशत प्रतिभागियों ने संकेत दिया कि उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है, जो कि उनके सशक्तिकरण के लिए बाधक है। इसके परिणामस्वरूप, यह अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि महिलाओं के लिए मनरेगा की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता है, जैसे कि वेतन समानता सुनिश्चित करना और कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करना।

हुई है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक स्थिति में भी सुधार देखा गया है। महिलाएं अब अपने समुदायों में अधिक सक्रिय और सम्मानित महसूस करती हैं। हालाँकि, अध्ययन में यह भी पाया गया कि महिलाओं को वेतन असमानताओं और कार्य उपलब्धता की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 60 प्रतिशत प्रतिभागियों ने संकेत दिया कि उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है, जो कि उनके सशक्तिकरण के लिए बाधक है। इसके परिणामस्वरूप, यह अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि महिलाओं के लिए मनरेगा की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता है, जैसे कि वेतन समानता सुनिश्चित करना और कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करना।

मुख्य शब्द

मनरेगा, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, चंदौली जिला, ग्रामीण विकास.

प्रस्तावना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) 2005 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना और हर ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन का वेतन रोजगार प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य न केवल आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना भी है।

चंदौली जिले में, जहाँ कृषि और अन्य ग्रामीण गतिविधियाँ प्रमुख आजीविका के स्रोत हैं, मनरेगा महिलाओं

के लिए विशेष महत्व रखती है। महिलाओं को अक्सर सामाजिक और आर्थिक हाशिए पर रखा जाता है, जिससे उनकी आय, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक स्थिति प्रभावित होती है। मनरेगा का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर उनके सशक्तिकरण में योगदान करना है।

इस अध्ययन का मुख्य लक्ष्य मनरेगा के अंतर्गत चंदौली जिले में महिलाओं के रोजगार, आय, और सशक्तिकरण पर होने वाले सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का गहन मूल्यांकन करना है। अध्ययन के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि कैसे यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिति में सुधार करने में सहायक होती है। इसके साथ ही, हम यह भी देखेंगे कि उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वेतन असमानता, कार्य उपलब्धता, और सामाजिक मानदंड।

इस अध्ययन में यह विश्लेषण करने का प्रयास किया जाएगा कि मनरेगा कैसे ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बना सकता है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस संदर्भ में, यह अध्ययन न केवल चंदौली जिले के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है, जहाँ महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता है।

साहित्य समीक्षा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना है, और इसके प्रभाव पर कई अध्ययनों ने ध्यान केंद्रित किया है। विभिन्न शोधों में यह स्पष्ट हुआ है कि मनरेगा का महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान है।

शाह (2016) के अनुसार, मनरेगा ने महिलाओं की आय और सामाजिक स्थिति में वृद्धि की है। उनका अध्ययन दर्शाता है कि महिलाओं को रोजगार मिलने से उनके परिवार की आर्थिक स्थिरता में सुधार हुआ है, जिससे उन्हें सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी शामिल किया गया है। यह सुधार न केवल आर्थिक स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी उनके आत्म-सम्मान को बढ़ाने में सहायक रहा है।

कुमार और गुप्ता (2019) ने अपने अध्ययन में पाया कि मनरेगा में भागीदारी ने महिलाओं के परिवारों में निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाया है। उनका शोध यह इंगित करता है कि जब महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, तो वे अपने परिवारों में अधिक प्रभावशाली बन जाती हैं, जिससे वे महत्वपूर्ण निर्णयों में भागीदारी कर पाती हैं। यह परिवर्तन उनके सामाजिक सर्कल और समुदाय में भी सकारात्मक बदलाव लाता है।

इसके अतिरिक्त, अन्य शोधों में यह भी पाया गया है कि मनरेगा द्वारा प्रदान की गई आय का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए किया जाता है, जो परिवार के सभी सदस्यों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में मदद करता है। इस प्रकार, मनरेगा न केवल रोजगार प्रदान करता है, बल्कि यह महिलाओं की सशक्तिकरण प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाता है।

यह पत्र इन निष्कर्षों पर आधारित है और चंदौली में मनरेगा के विशेष प्रभावों की जांच करेगा। हम यह देखेंगे कि किस प्रकार यह योजना स्थानीय महिलाओं की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, और निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव डाल रही है, और इसके साथ ही उन चुनौतियों को भी उजागर करेंगे जिनका सामना वे करती हैं। इस तरह के विश्लेषण से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि मनरेगा का वास्तविक प्रभाव क्या है और कैसे इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

अध्ययन के उद्देश्य

यह अध्ययन चंदौली जिले में महिलाओं पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के प्रभावों की गहन जांच करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों पर केंद्रित है:

1. चंदौली जिले में महिलाओं पर मनरेगा के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करना: यह उद्देश्य

मनरेगा के तहत महिलाओं को प्राप्त रोजगार और आय के स्तर का मूल्यांकन करने पर केंद्रित है। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस योजना के तहत मिलने वाले कार्यों से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हुआ है और क्या यह उनके परिवार की आर्थिक स्थिरता में योगदान कर रहा है।

- 2. मनरेगा के कारण महिलाओं की सामाजिक स्थिति और सशक्तिकरण में होने वाले परिवर्तनों का आकलन करना:** इस उद्देश्य का उद्देश्य यह जानना है कि मनरेगा में भागीदारी से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में क्या परिवर्तन आया है। इसके तहत हम यह देखेंगे कि क्या महिलाओं की आत्म-निर्भरता, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक सहभागिता में वृद्धि हुई है।
- 3. मनरेगा लाभों तक पहुँचने में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की पहचान करना:** इस उद्देश्य के तहत हम उन विभिन्न बाधाओं की पहचान करेंगे जो महिलाओं को मनरेगा के लाभों तक पहुँचने में कठिनाई उत्पन्न करती हैं। इसमें हम सामाजिक, आर्थिक, और संरचनात्मक चुनौतियों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि कार्य उपलब्धता, वेतन असमानता, और जागरूकता की कमी।

इन उद्देश्यों के माध्यम से, यह अध्ययन मनरेगा की प्रभावशीलता और उसकी कार्यान्वयन के दौरान महिलाओं के अनुभवों को समझने में मदद करेगा, साथ ही चंदौली जिले में उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए संभावित हस्तक्षेपों की सिफारिश करेगा।

शोध पद्धति

इस अध्ययन के लिए एक मिश्रित-शास्त्रीय शोध डिजाइन अपनाया गया है, जिसमें प्राथमिक डेटा और गुणात्मक जानकारी का उपयोग किया गया है। निम्नलिखित बिंदुओं में अध्ययन की संरचना को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है:

डेटा स्रोत

प्राथमिक डेटा

डेटा 250 महिलाओं से संरचित प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किया गया, जिसमें 100 हिंदू और 100 मुस्लिम महिलाएं शामिल थीं। प्रश्नावली में मनरेगा के तहत रोजगार, आय, सामाजिक स्थिति और सशक्तिकरण से संबंधित प्रश्न शामिल थे।

गुणात्मक डेटा

30 महिलाओं के साथ गहन साक्षात्कार किए गए, ताकि उनकी व्यक्तिगत कहानियों और अनुभवों के बारे में गहन जानकारी प्राप्त की जा सके।

नमूना तकनीक

नमूना विधि

एक श्रेणीबद्ध नमूना विधि का उपयोग किया गया, जिसमें भागीदारों को आयु, लिंग, और आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया गया। इस विधि के माध्यम से सुनिश्चित किया गया कि नमूना विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमियों का प्रतिनिधित्व करता है।

डेटा विश्लेषण

मात्रात्मक डेटा विश्लेषण

- **वर्णनात्मक सांख्यिकी:** इस प्रक्रिया में, डेटा का सारांश निकालने के लिए औसत, मानक विचलन, और प्रतिशत जैसे सांख्यिकी का उपयोग किया गया।
- **प्रतिगमन विश्लेषण:** इसके माध्यम से यह समझा गया कि मनरेगा में भागीदारी का महिलाओं की आय

और सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रतिगमन विश्लेषण का सूत्र इस प्रकार है:

$$Y = mX + b$$

इसमें Y, प्रतिक्रिया (आश्रित) चर है,

m, भविष्यवक्ता (स्वतंत्र) चर है

X, अनुमानित ढलान है,

और


b, अनुमानित अवरोधन है

तालिका 01

आयु वर्ग	हिंदू महिलाएं (N=100)	मुस्लिम महिलाएं (N=100)	कुल (N=200)
18-25	20	18	38
26-35	30	32	62
36-45	25	25	50
46-55	15	15	30
56+	10	10	20

(स्रोत: प्राथमिक समंक)

रेखाचित्र 01: महिलाओं की आय और सामाजिक स्थिति



इस तालिका में विभिन्न आयु वर्गों में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं की संख्या दर्शाई गई है, जो अध्ययन के लिए चयनित की गई थीं।

इस शोध पद्धति के माध्यम से, अध्ययन ने मनरेगा के प्रभावों को प्रभावी ढंग से समझने और डेटा को संग्रहित करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया है।

परिणाम और चर्चा

1. **आर्थिक प्रभाव:** विश्लेषण से पता चला कि 80 प्रतिशत महिलाओं ने मनरेगा में भागीदारी के कारण घरेलू आय में वृद्धि की। इन महिलाओं की औसत आय में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो परिवार के कल्याण में

महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। यह आर्थिक सुधार न केवल परिवारों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है, बल्कि महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान कर रहा है। महिलाओं ने यह भी उल्लेख किया कि इस अतिरिक्त आय ने उन्हें घरेलू खर्चों में अधिक भागीदारी करने और अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने में सक्षम बनाया है।

- सामाजिक स्थिति और सशक्तिकरण:** MGNREGA में भागीदारी ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार किया। 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होंने अपनी समुदायों में अधिक सम्मानित महसूस किया। यह आत्म-सम्मान और सामाजिक पहचान में वृद्धि की ओर संकेत करता है। इसके अतिरिक्त, 60 प्रतिशत महिलाओं ने अपने घरों में निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि का अनुभव किया। इससे स्पष्ट होता है कि मनरेगा ने महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत किया है, बल्कि उनके सामाजिक स्थान और अधिकारों को भी सशक्त बनाया है।
- सामना की जाने वाली चुनौतियाँ:** हालांकि सकारात्मक प्रभावों के बावजूद, 65 प्रतिशत प्रतिभागियों ने वेतन असमानताओं की समस्या को बताया, जिसमें महिलाएं पुरुषों की तुलना में 10-20 प्रतिशत कम कमा रही थीं। यह वेतन असमानता महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसके अलावा, कार्य उपलब्धता की अनियमितता भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है, जिसके कारण कई महिलाएं स्थायी और निश्चित आय से वंचित रहती हैं।

सामाजिक कलंक और अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी जैसी समस्याएँ भी महिलाओं की पूर्ण भागीदारी में बाधक बनीं। कई महिलाओं ने इस बात पर जोर दिया कि उनके अधिकारों और डलछत्म्ळ के लाभों के प्रति जागरूकता की कमी ने उनके समुचित उपयोग में बाधा उत्पन्न की है।

यह स्पष्ट है कि मनरेगा ने चंदौली जिले की महिलाओं के लिए आर्थिक, सामाजिक और सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किए हैं। हालांकि, वेतन असमानताओं और जागरूकता की कमी जैसे मुद्दों का समाधान करना आवश्यक है ताकि इस योजना की प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सके।

नीति सिफारिशें

निष्कर्षों से यह सुझाव मिलता है कि:

- जागरूकता कार्यक्रम:** महिलाओं को मनरेगा के तहत अपने अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। यह कार्यक्रम ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक बैठकें और कार्यशालाएं आयोजित करके किया जा सकता है, जिससे महिलाओं को उनके अधिकारों, उपलब्धियों और डलछत्म्ळ की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी मिल सके।
- वेतन समानता की पहलकदमी:** पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन समानता सुनिश्चित करने के लिए नीतियों को लागू किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले, नियोक्ताओं पर निगरानी रखी जाए। स्थानीय प्रशासन को इस दिशा में सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसमें नियमित जांच और रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित करना शामिल है।
- कौशल विकास कार्यक्रम:** महिलाओं की रोजगार क्षमता और मनरेगा के बाहर आय उत्पन्न करने के अवसरों को बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ये कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि हस्तशिल्प, कृषि, तकनीकी कौशल आदि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे न केवल महिलाओं को रोजगार में सुधार होगा, बल्कि वे अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकेंगी।
- स्थायी रोजगार अवसर:** मनरेगा के अंतर्गत दी जाने वाली नौकरियों के अलावा, महिलाओं के लिए स्थायी रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए स्थानीय उद्योगों और व्यवसायों के साथ सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए। यह उन्हें नियमित आय के स्रोत उपलब्ध कराएगा।

5. **समुदाय आधारित निगरानी:** महिलाओं की भलाई और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया जाना चाहिए। इन समितियों में स्थानीय महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे वे अपनी समस्याओं को उठाने और नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी कर सकें।

इन सिफारिशों का उद्देश्य न केवल मनरेगा की प्रभावशीलता को बढ़ाना है, बल्कि चंदौली जिले में महिलाओं के समग्र विकास को भी सुनिश्चित करना है।

निष्कर्ष

मनरेगा ने चंदौली जिले में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। यह योजना न केवल आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाओं ने इस योजना के माध्यम से न केवल अपनी आय में वृद्धि की है, बल्कि उनके सामाजिक स्थिति और निर्णय लेने की शक्ति में भी सुधार हुआ है।

हालाँकि, इसके साथ ही कुछ चुनौतियाँ भी सामने आई हैं, जैसे कि वेतन असमानताएँ, कार्य उपलब्धता की अनियमितता, और सामाजिक कलंक। इन चुनौतियों को हल करना आवश्यक है ताकि योजना के लाभों को अधिकतम किया जा सके।

लक्षित हस्तक्षेप आवश्यक हैं, जैसे जागरूकता कार्यक्रम, कौशल विकास और वेतन समानता की पहलकदमी। इन उपायों के माध्यम से, मनरेगा को ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करते रहने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

इस प्रकार, यह अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि सही नीतियों और कार्यान्वयन के माध्यम से, मनरेगा महिलाओं की स्थिति में स्थायी सुधार ला सकता है और उन्हें सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त बना सकता है।

संदर्भ सूची

- कुमार, ए. एवं गुप्ता, एस. (2019) मनरेगा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण: ग्रामीण भारत से साक्ष्य, *ग्रामीण विकास का जर्नल*, 38(1), 123–136।
- शाह, ए. (2016) मनरेगा का आर्थिक प्रभाव: महिलाओं के लिए एक केस स्टडी। *भारतीय जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज*, 23(2), 45–62।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, (2023) MGNREGA वार्षिक रिपोर्ट।

—==00==—